संचिका सं0—जनगणना कोषांग (विभिन्न पत्राचार)—17/2026—232 (जन0को0)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(जनगणना कोषांग)

प्रेषक,

डॉ0 महेन्द्र पाल, भा0प्र0से0
अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष / प्रधान सचिव / सचिव।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
3. सभी जिला पदाधिकारी—सह—प्रधान जनगणना पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांक 17/8/26

विषय :— भारत की जनगणना—2027 कार्य हेतु नामित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण पर दिनांक—31.03.2027 तक प्रतिबंध अधिरोपित करने के संबंध में।

प्रसंग :— जनगणना नियमावली, 1990 का नियम—8 (VI) एवं विभागीय अधिसूचना सं0 44 जन0को0/रा0, दिनांक 24.02.2026. एवं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार का पत्र दिनांक 14.07.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों एवं अधिसूचना (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत की जनगणना—2027 का कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण, वैधानिक, समयबद्ध एवं राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है। इसका सफल, समयबद्ध एवं त्रुटिरहित सम्पादन निर्धारित समय—सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

विदित हो कि जनगणना—2027 के संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी, तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को चार्ज अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखण्ड जनगणना कोषांगों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मियों को प्रतिनियुक्त की गई है।साथ ही शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को प्रगणक एवंपर्यवेक्षक के रूप में नामित कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

जनगणना नियमावली, 1990 के नियम—8 (VI) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या—44जन0को0/रा0, दिनांक 24.02.2026 द्वारा यह स्पष्ट आदेश निर्गत है कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से भी निरंतर निर्देश दिए गए हैं कि कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवंकर्मियों को भारत की जनगणना—2027 की समाप्ति की तिथि दिनांक 31.03.2027 तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बनाए रखा जाए।

सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि सामान्य स्थानांतरण/पदस्थापन प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों द्वाराजनगणना कार्य हेतु नामित Charge Officers (BDO/CO/Executive Officers),कोषांग के कर्मियों एवं प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है।

इससे डिजिटल मैपिंग, HLB (House Listing Block) प्रबंधन, पोर्टल Synchronizationएवं प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

अतः पुनः अनुरोध है कि भारत की जनगणना–2027 के सुचारूएवं निर्बाध संचालन को द्रष्टिगत रखते हुए :–

- जनगणना कार्य हेतु नामित किसी भी पदाधिकारी/कर्मी (चार्ज अधिकारी एवंकोषांग कर्मी, प्रगणकएवं पर्यवेक्षक) का सामान्य स्थानांतरण दिनांक–31.03.2027 तक स्थगित रखा जाय।
- यदि किसी अपरिहार्य प्रशासनिक कारणवश स्थानांतरण आवश्यक हो, तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकार के सहमति के पश्चात् ही की जाय।

कृपया इसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–जन0को0 (विभिन्न पत्राचार)–17 / 2026–232 (जन0को0) / रा0, दिनांक–17/8/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–जन0को0 (विभिन्न पत्राचार)–17 / 2026–232 (जन0को0) / रा0, दिनांक–17/8/26

प्रतिलिपिः– निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–जन0को0 (विभिन्न पत्राचार)–17 / 2026–232 (जन0को0) / रा0, दिनांक–17/8/26

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता–सह–जिला जनगणना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–जन0को0 (विभिन्न पत्राचार)–17 / 2026–232 (जन0को0) / रा0, दिनांक–17/8/26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधितों को E-mail के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
सरकार के अपर सचिव।

निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1947 (श०)

(सं० पटना 250) पटना, सोमवार, 02 मार्च 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना
24 फरवरी 2026

सं० सं० जनगणना कोषांग (अधिसूचना)–12/02–2025–44ज०को०/रा०—केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की जनगणना–2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित हैं।

जनगणना नियमावली, 1990 के नियम–8 (VI) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है।

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नही की जा सकेगी। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सी०के० अनिल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 250-571+10-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

Scanned with OKEN Scan

E-Mail

विचरण शाखा
बिहार सरकार
22 JUL 2026
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

ई-मेल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय बिहार
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS BIHAR

8वांतल, सी.-जी.ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन,
8th Floor, C-G Block, Karpoori Thakur Sadan,
आशियाना-दिघारोड, पटना-800025
Ashiana-Digha Road, Patna-800025
दूरभाष/Telephone-0612 2565958, 60
E-mail:- dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक- 14-07-2026

Acs GAD
Secy, Revenue

मुख्य सचिव कोषांग बिहार

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार,
पटना।

15 JUL 2026

विषयः जनगणना-**2027** कार्य हेतु नामित पदाधिकारियों, जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में।

Chief Secretary, Bihar

संदर्भः- 1. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, नई-दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्र सं०-9/12/2026-CD(Cen), दिनांक 11.03.2026।
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-106 (जन०को०), दिनांक 07.04.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के आलोक में सादर अवगत कराना है कि भारत की जनगणना-2027 की तैयारियाँ वर्तमान में तीव्र गति से संचालित की जा रही हैं। जनगणना-2027 का कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एक वैधानिक एवं समयबद्ध दायित्व है, जिसका निष्पादन निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित रूप से किया जाना अपेक्षित है।

आवती सं० 4160
दिनांक 16.07.2026

विदित हो कि जनगणना-2027 के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी को प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को चार्ज अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांगों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा शिक्षा विभाग के शिक्षकों/कर्मियों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर जनगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा भवदीय को प्रेषित अर्धशासकीय पत्र तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई-दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों / अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण दिनांक 31.03.2027 तक नहीं किया जाए। (प्रति संलग्न)

बिहार के विभिन्न जिलो से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जनगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त -सह- चार्ज अधिकारियों, जिला जनगणना पदाधिकारियों, जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों / कर्मियों तथा प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में भारत की जनगणना- 2027 के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने से पूर्व प्रशिक्षित तथा अपने-अपने House Listing Block (HLB) एवं कार्यक्षेत्र से पूर्णतः परिचित अधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण जनगणना कार्य की प्रशासनिक निरंतरता एवं प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। फलस्वरूप डिजिटल मैपिंग, HLB प्रबंधन, पोर्टल Synchronization, प्रगणकों/पर्यवेक्षकों की तैनाती तथा अन्य पूर्व-तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण कार्य बाधित होने की प्रबल संभावना है। साथ ही ऐसी स्थिति न केवल भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की भावना के प्रतिकूल होगी, बल्कि भारत की जनगणना- 2027 के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

अतः सादर अनुरोध है कि जनगणना- 2027 के सफल, निर्बाध एवं समयबद्ध संचालन को दृष्टिगत रखते हुए भारत की जनगणना- 2027 कार्य हेतु नामित जिला पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, चार्ज अधिकारी, जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मियों तथा प्रगणकों/पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण दिनांक 31.03.2027 तक स्थगित रखे जाने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

Digitally signed by
Ranjita
Date: 14-07-2026
18:25:16

(रंजिता, भा.प्र.से.)
निदेशक, जनगणना कार्य –सह-
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, बिहार

प्रतिलिपि:-

1. सचिव -सह- राज्य समन्वयक (जनगणना), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ।
3. उप महारजिस्ट्रार (जनगणना), भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली को सूचनार्थ।